"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2014— आश्विन 5, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक "छब्बीस-समाज कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) के सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्ट्यों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

   "15. "तृतीय लिंग" समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कार्यकलाप."

2. शीर्षक "पचास- महिला एवं बाल विकास विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) के सरल क्रमांक 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्ट्यों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

   "11. राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक, दिनांक 27-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th September 2014

NOTIFICATION

No. F 1-1/2010/ 1/ One.— In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

1. Under heading "XXVI-Social Welfare Department", after serial number 14 and entries relating thereto of Part (A), the following shall be added, namely :-

   "15. Activities for welfare and conservation of the rights of people belonging to "third gender" community."

2. Under heading "L-Women and Child Development Department", after serial number 10 and entries relating thereto of Part (A), the following shall be added, namely :-

   "11. National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA KUMAR JAISWAL, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.